

डिस्क्लेमर

आदेश संख्या 15/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड (जी.एफ.एच.एस.आर.पी.एल.) के संबंध में स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख: 05.09.2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली- 110003

अध्याय 7 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारित करने संबंधी संगत अध्यायों के संबंध में प्राधिकरण के निर्णयों (प्रत्येक अध्याय में दिए गए) का सार इस प्रकार है:

| अध्याय | पैरा | प्राधिकरण के निर्णयों का सार | पृष्ठ संख्या |
|-----------------|------|--|--------------|
| अध्याय संख्या 2 | 2.10 | प्राधिकरण जीएफएचएसआरपीएल द्वारा रायपुर हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली इसकी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए “लाइट टच अप्रोच” के अंतर्गत टैरिफ निर्धारित करने का निर्णय लेता है। | 08 |
| अध्याय संख्या 3 | 3.11 | प्राधिकरण तालिका 3 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए विमान यातायात (स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा संचालित की जाने वाली उड़ानों) को मानने का निर्णय लेता है। | 10 |
| अध्याय संख्या 4 | 4.7 | प्राधिकरण तालिका 4 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कैपेक्स को मानने का निर्णय लेता है। | 12 |
| अध्याय संख्या 5 | 5.8 | प्राधिकरण स्वतंत्र सेवा प्रदाता के संबंध में तालिका 5 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का निर्णय लेता है। | 17 |
| अध्याय संख्या 6 | 6.15 | प्राधिकरण जीएफएचएसआरपीएल द्वारा रायपुर हवाईअड्डे पर शेड्यूल्ड उड़ानों, अंतरराष्ट्रीय “नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों” के संबंध में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक (I,II और III) के अनुसार टैरिफ दरों और शेड्यूल्ड एवं नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों के संबंध में विभिन्न ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मदवार प्रभारों को मानने का निर्णय लेता है। | 21 |
| | 6.16 | प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय “नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों” के लिए टैरिफ समान श्रेणी के विमान(नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी। | |
| | 6.17 | प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी। | |
| | 6.18 | प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि संलग्नक (I,II और III) में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार न लगाया जाए। | |
| | 6.19 | प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि जीएफएचएसआरपीएल नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर में ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। | |

अध्याय 8 : आदेश

रिकॉर्ड में उपलब्ध तात्विक सामग्री और जीएफएचएसआरपीएल द्वारा की गई प्रस्तुति पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा आदेश देता है कि:

- (i) मैसर्स ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड (जीएफएचएसआरपीएल) द्वारा स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर में प्रदान की जा रही ग्राउंड हैंडलिंग सेवा “मटीरियल नहीं” है। इसलिए प्राधिकरण प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए ‘लाइट टच अप्रोच’ अपनाने का निर्णय लेता है।
- (ii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि **संलग्नक (I, II और III)** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- (iii) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि अंतरदेशीय “नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों” के लिए टैरिफ, समान श्रेणी के विमान(नों) की संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।
- (iv) प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।
- (v) इसमें ऊपर निर्धारित टैरिफ में लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- (vi) मैसर्स जीएफएचएसआरपीएल ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देश, 2011 (खंड 11.4) के अनुसार रायपुर हवाईअड्डे पर अपने ग्राउंड हैंडलिंग प्रचालनों के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करेगी और प्रत्येक टैरिफ वर्ष के अंत में वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों सहित वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करेगी।
- (vii) यह टैरिफ आदेश 11.09.2023 से प्रभावी होगा।
- (viii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

सेवामें,

ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर), प्राइवेट लिमिटेड,
स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रामचंदी,
अटल नगर- नावा, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492015

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
3. हवाईअड्डा निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर -492015



